एफ.न.1(1)/2020-एसएसएस

जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत इकाईयों के पंजीकरण के लिए सामान्य प्रचालन दिशानिर्देश

ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के लिए एफ. संख्या.1(1)/2020-एसएसएस दिनांक 19.02.2021 के तहत जारी अधिसूचना के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. स्कीम के तहत पंजीकरण दिनाक 01.04.2021 से शुरू होंगे और दिनांक 30.09.2024 तक जारी रहेंगे।

2. पंजीकरण के लए सभी आवेदनों का निपटान दिनांक 31.03.2025 तक कर दिया जाएगा। यदि उक्त अवधि तक ना हो तो इसे बढ़ाया जाएगा।

3. योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने की इच्छुक आवेदक इकाई को ऑनलाई पोर्टल www.jknis.dipp@gov.in के माध्यम से पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ **अनुबंध-1** में सलंग्न प्रपत्र में आवेदन करना होगाः

(i) **अनुबंध-II** अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।

(ii) भूमि दस्तावेज (सरकार भूमि के मामले में पंजीकरण प्राधिकारी/लीज विलेख द्वारा विधिवत रूप से पंजीकृत मालिकाना/ किराया विलेख के बारे में राजस्व दस्तावेज)

(iii) बैंक ऋण स्वीकृति।

(iv) बैंक/ वित्तीय संस्थान से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट भवन संयंत्र और मशीनरी, विविध अचल परिसंपितियाँ आदि की मूल्यांकन लागत को दर्शाती है।

(v) स्व वित्पोषित इकाईयों के माले में जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लि. (जेकेडीएफसी) मे प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट।

(vi) जो इकाईयाँ कार्यान्वयन के अधीन है या जिन्हे वाणिज्यिक उत्पादन/ प्रचालन शुरू करना है, के मामले में पहले से निवेश कर चुकी ईकाईयों के लिए निश्चित परिसंपत्तियों के लिए सीए से प्राप्त प्रमाण-पत्र।

(vii) तैयार उत्पाद या चालित इकाई की स्थापना और विनिर्माण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति /एन ओ सी।

(viii) संबंधित विभाग से अनिवार्य/ आवश्यक पंजीकरण/ अनुमोदन का प्रमाण-पत्र जैसा लागू हो।

(ix) फर्म और इकाई के संबंध में निगमन प्रमाण-पत्र की प्रति।

(x) सभी मालिक (को)/ निदेशक (को) सहभागी (गियाँ) का विवरण जिसका सीए द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त हो।

(xi) पैन कार्ड की प्रति।

(xii) जीएसटीआईएन प्रमाण-पत्र की प्रति।

(xiii) पिछले जीएसटी रिटर्न फाइल की प्रति जैसा लागू हो।

(xiv) उद्यम पंजीकरण/ ईएम-II

4. केवल पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने से योजना के तहत किसी भी आवेदक को पंजीकरण का अधिकार नहीं मिलेगा। योजना के तहत पंजीकरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा।

(i) सभी दस्तावेजों को अपेक्षित विवरण के उनकी प्रमाणिकता के साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

(ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट।

(iii) योजना की दिनांक 19.02.2021 की अधिसूचना में निहित प्रावधान के अनुसार इकाई की पात्रता।

(iv) निश्चित वित्तीय परिसंपत्तियाँ जमीन की उपलब्धता आवश्यक बिजली कनेक्शन, इकाई को चलाने के लिए पर्याप्त आवश्यक अवसंरचना वित्त का स्त्रोत, रोजगार सृजन की क्षमता और इकाई को चलाने के लिए स्थिरता।

(v) इकाई को चलाने के लिए अधिकृत प्राधिकारी से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना।

(vi) कानून या दिवालियपन या घोषित एनपीए के तहत किसी भी प्राधिकारी द्वारा इकाई को ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए।

(vii) पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा मांगी गई कोई अन्य जानकारी/ दस्तावेज।

5. किसी भी इकाई को इस योजना के तहत पंजीकरण करने या लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि इसे विशेष रूप से पंजीकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। योजना के तहत इकाई के पंजीकरण के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित समितियों को नियुक्त किया गया हैः

(क) सचिव स्तर की समिति (पीएंडएम/ भवन और अन्य स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों में 500 करोड़ रूपए तक के निवेश के लिए)

क्रं.स.	पद	**भूमिका**
1	सरकार के प्रशासनिक सचिव उद्योग और वाणिज्य विभाग, जम्मू और कश्मीर	अध्यक्ष
2	निदेशक उद्योग और वाणिज्य विभाग, जम्मू	सदस्य सचिव (जम्मू)

3	निदेशक उद्योग और वाणिज्य विभाग, कश्मीर	सदस्य सचिव (कश्मीर)
4	प्रबंध निदेशक, जेकेडीएफसी	सदस्य
5	आयोजक निदेशक, उद्योग और वाणिज्य विभाग	सदस्य
6	वित्त निदेशक, उद्योग और वाणिज्य विभाग	सदस्य
7	संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि अपर सचिव स्तर से कम नहीं हो। (सेवा क्षेत्र इकाईयों के मामले में)	

(ख) मुख्य सचिव स्तर की समिति (पीएंडरएम/ भवन और अन्य स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों में 500 करोड़ रुपये से अधिक तक के निवेश के लिए)।

क्रं.स.	पद	कार्य
1	मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर	अध्यक्ष
2	सरकार के प्रशासनिक सचिव, उद्योगी एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू और कश्मीर	सदस्य सचिव
3	संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव (सेवा क्षेत्र इकाई के मामले में)	सदस्य
4	निदेशक उद्योग और वाणिज्य, जम्मू)	सदस्य
5	निदेशक उद्योग और वाणिज्य, कश्मीर	सदस्य
6	प्रबंध निदेशक जेकेडीएफसी	सदस्य

6. धरोहर संपत्ति जो दिनाँक 01.04.2021 से पहल उपयोग में नहीं थी, को फिर से नवीकरण करके व्यावसायिक आधार पर वाणिज्य या आथित्य सत्कार या पर्यटन सेवाओं के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों के अनुसार एक नई इकाई माना जाएगा।

i. इस योजना के तहत धरोहर संपत्ति जो निम्नानुसार मान्यता प्राप्त या परिभाषित होंगी

(क) एएसआई के तहत अधिसूचित स्मारक।

(ख) प्रचीन स्मारक संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2010 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्मारक।

(ग) जम्मू और कश्मीर विरासत संगठन और संरक्षण अधिनियम, 2010 के तहत अधिसूचित धरोहर स्थल।

(घ) मान्यता प्राप्त एजेंसियों जैसे- यूनेस्को, इन्टैक (इंडियन नेशनल ट्रस्ट और आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज) आदि द्वारा सूचीबद्ध धरोहर स्मारक।

(ii) इसका जीर्णोद्धार/ संरक्षण/ परिरक्षण एक संरक्षण योजना के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसे इन्टैक, जम्मू कश्मीर या केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित योग्य संरक्षण निकाय द्वारा तैयार किया गया है।

7 इस स्कीम के उद्देश्य के लिए **जोन क** और **जोन ख** जैसा कि केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर की सरकार द्वारा परिभाषित है। यह **अनुबंध-III** के अनुसार होगा।

8 (i) यदि किसी इकाई भारत सरकार की अन्य योजना (यों) से लाभ उठा रही है या परिकल्पित या किसी भी प्रोत्साहन का लाभ उठा चुकी है, तो यह इस योजना के तहत उन पोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगी। हालांकि, यह इस योजना के तहत अन्य प्रोत्साहन (ओं) के लिए पात्र होगा।

(ii) यदि कोई इकाई भारत सरकार की अन्य योजना (यों) से ऐसे समान प्रोत्साहन के लिए आवेदन करती है, तो उसे केवल किसी एक योजना से ऐसे प्रोत्सान को प्राप्त करने का विकल्प चुनना होगा।

9. सेवा क्षेत्र में भवन और अन्य स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों के विनिर्माण और संरचना के लिए संयंत्र और मशीनरी के प्रमुख और गैर- प्रमुख खंड का विवरण **अनुबंध-IV** में संलग्न है।

10. इस योजना के तहत सेवा क्षेत्र की पात्र भवन और भौतिक परिसपत्तियाँ **अनुबंध-V** के अनुसार होगी।

11. पंजीकरण के लिए अपलोड किए गए दस्तावेजों और आवेदन का विवरण इकाई (परिसर) का स्थल दौरा करने के बाद सत्थापित किए जाएगें और संबंधित डीआईसी द्वारा दस्तावेज की जाँच की जाएगी। स्कीम अधिसूचना दिनॉक 19-02-2021 के तहत इकाई आवेदन की पात्रता की जाँच के बाद, महाप्रबन्धक, डीआईसी (संबंधित) पंजीकरण के लिए आवेदन की उद्योग एंव वाणिज्य निदेशालय को ऐसे आनलाइन प्रमाणपत्र के साथ सिफारिश करेगा जो इकाई निर्माण इकाईयों एंव सेवा गतिविधियों के मामले में निषिध सूची में ना हो; सेवा क्षेत्र इकाई के मामले में जैसा कि अधिसूचना सं.एफ सं. 1(1)/2020-एसएसएस दिनॉक 19 फरवरी 2021 में स्पष्ट किया गया है, के तहत इकाई सकारात्मक सूची में आती हो और इकाई स्कीम अधिसूचना के तहत सभी मानदंडों को पूरा करती हो।

महाप्रबंधक द्वारा संस्तुत निदेशालय स्तर के पोर्टल पर प्राप्त आवेदन, डीआईसी (संबंधित), पंजीकरण के अनुमोदन के लिए नामित समितियों के समक्ष रखा जाएगा।

12. इस योजना के लाभार्थी को योजना के नियमों और शर्तो का पालन करने के लिए प्रविबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

अनुबंध-I

1 संगठन का विवरण

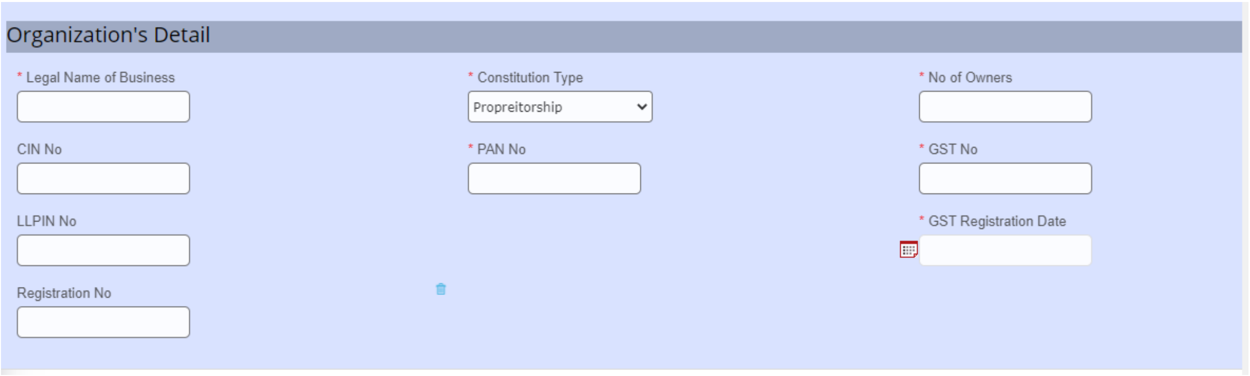

Organization's Detail

* Legal Name of Business

* Constitution Type: Propreitorship

* No of Owners

CIN No

* PAN No

* GST No

LLPIN No

* GST Registration Date

Registration No

2 मालिक /सहभागी / निदेशक का विवरण

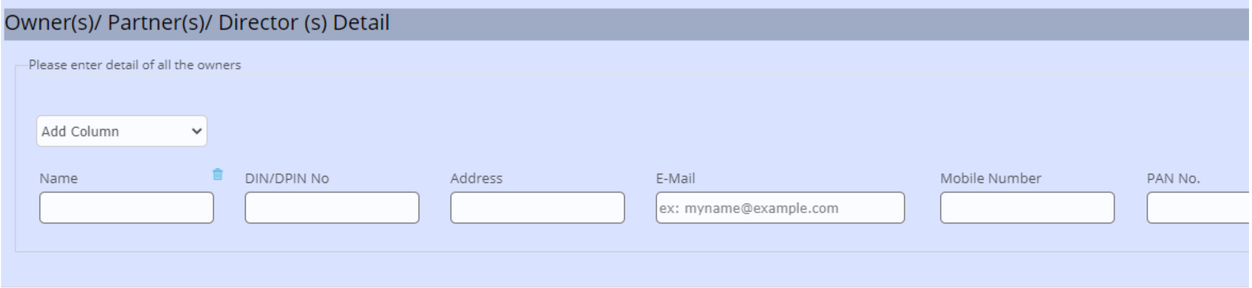

Owner(s)/ Partner(s)/ Director (s) Detail

Please enter detail of all the owners

Add Column

Name | DIN/DPIN No | Address | E-Mail (ex: myname@example.com) | Mobile Number | PAN No.

3 इकाई का विवरण जिसके विषय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है

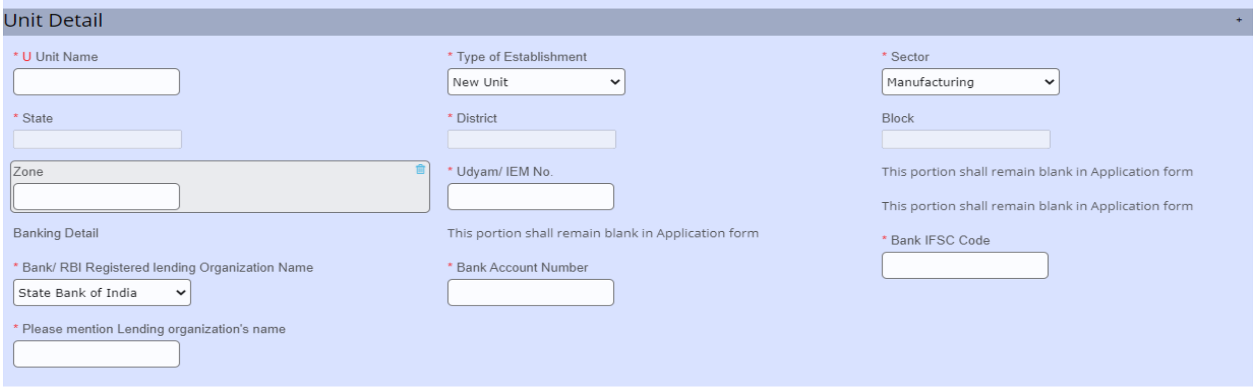

Unit Detail

* U Unit Name

* Type of Establishment: New Unit

* Sector: Manufacturing

* State

* District

Block

Zone

* Udyam/ IEM No.

This portion shall remain blank in Application form

This portion shall remain blank in Application form

Banking Detail

This portion shall remain blank in Application form

* Bank IFSC Code

* Bank/ RBI Registered lending Organization Name: State Bank of India

* Bank Account Number

* Please mention Lending organization's name

4 भारत सरकार की अन्य योजनाओं से प्रोत्साहन से प्रोत्साहन प्राप्त करने की पुष्टि

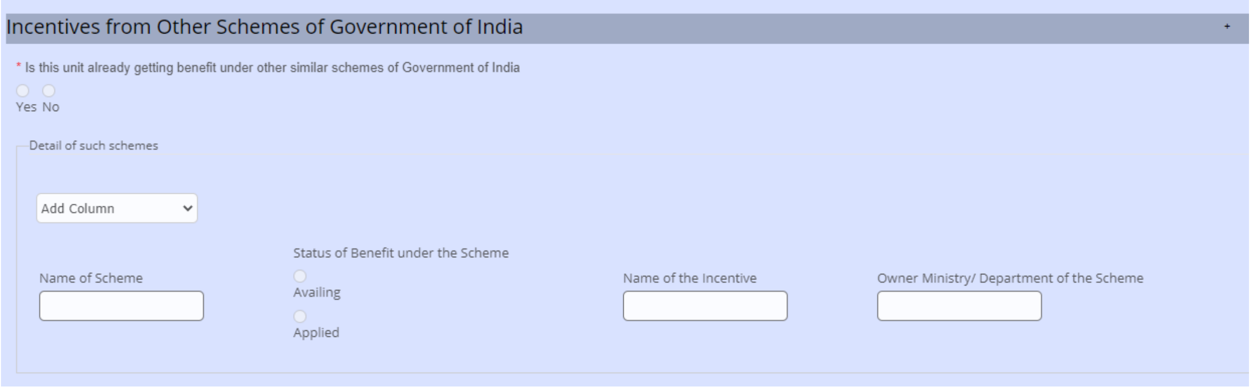

Incentives from Other Schemes of Government of India

* Is this unit already getting benefit under other similar schemes of Government of India

Yes No

Detail of such schemes

Add Column

Name of Scheme | Status of Benefit under the Scheme (Availing / Applied) | Name of the Incentive | Owner Ministry/ Department of the Scheme

5. स्थापना के प्रकार और क्षेत्र के आधार पर इकाई का अतिरिक्त विवरण। विकल्प क से च तक केवल प्रासंगिक विकल्प दिखाई देंगे।

5. क) मौजूदा निर्माण इकाई के लिए

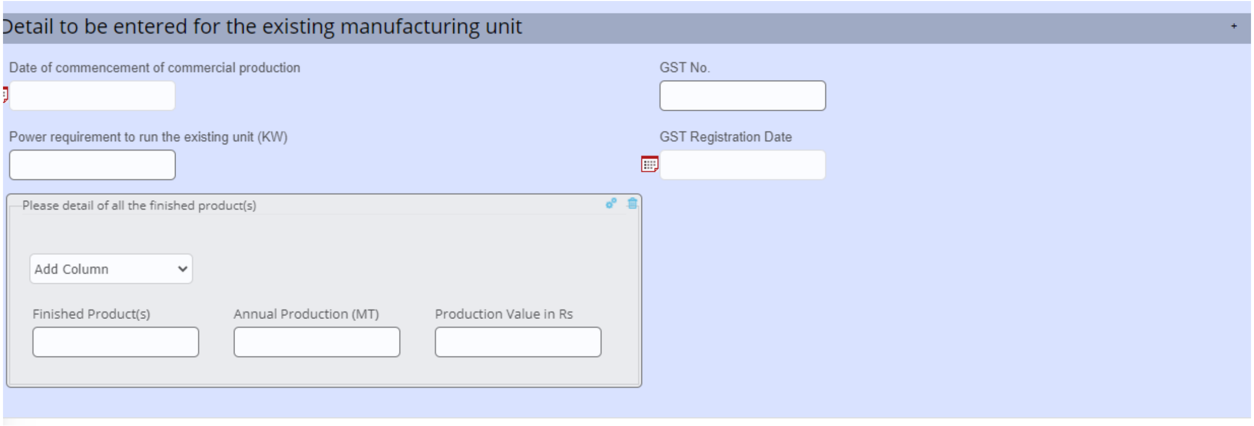

5 ख) मौजूदा सेवा इकाई के लिए

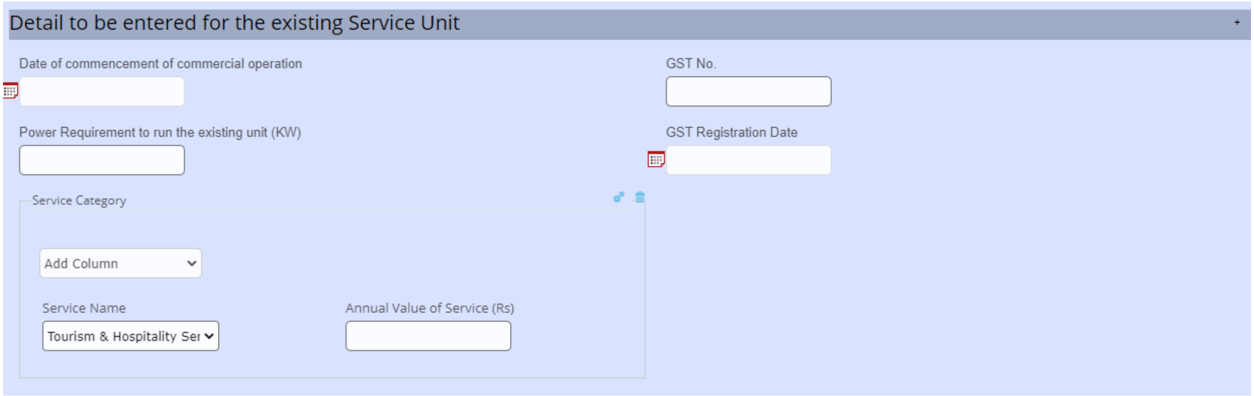

5 ग) पर्याप्त विस्तार के लिए मौजूदा विनिर्माण इकाई

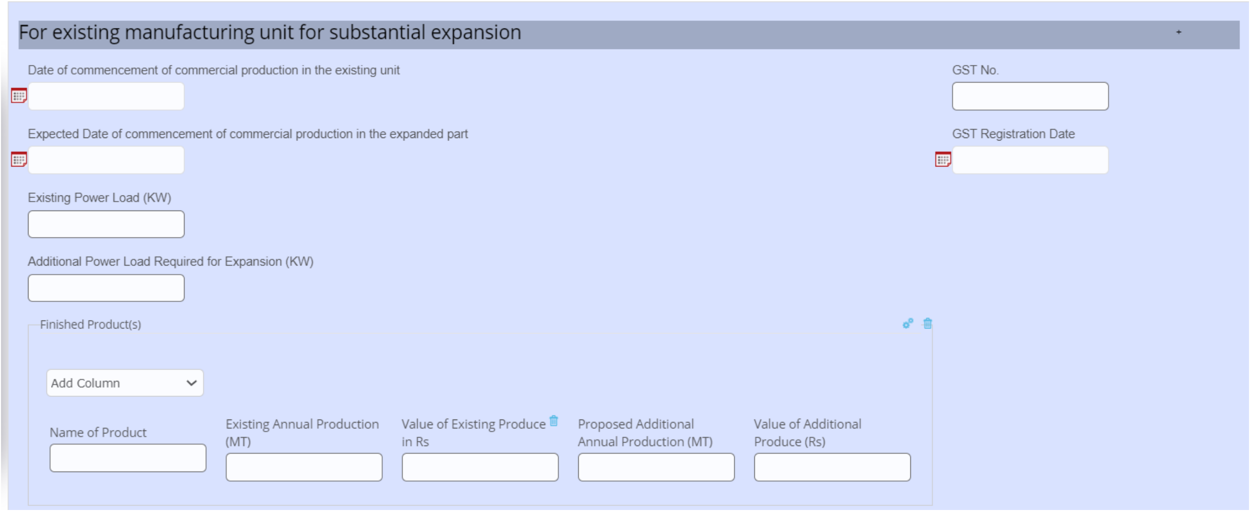

5 घ) पर्याप्त विस्तार के लिए मौजूदा सेवा इकाई

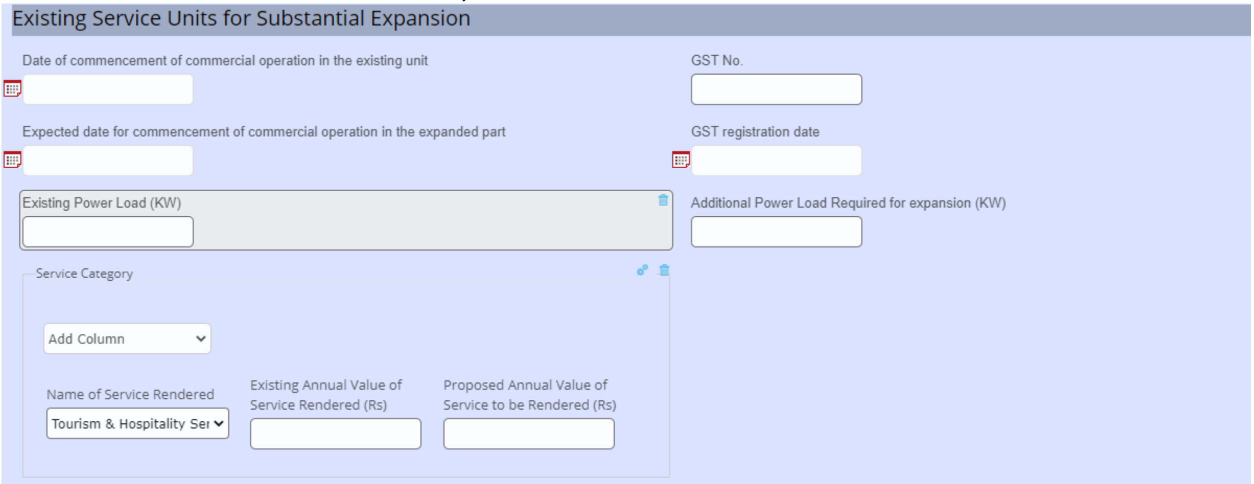

Existing Service Units for Substantial Expansion

Date of commencement of commercial operation in the existing unit

GST No.

Expected date for commencement of commercial operation in the expanded part

GST registration date

Existing Power Load (KW)

Additional Power Load Required for expansion (KW)

Service Category

Add Column

Name of Service Rendered: Tourism & Hospitality Ser

Existing Annual Value of Service Rendered (Rs)

Proposed Annual Value of Service to be Rendered (Rs)

5 ङ) नई विनिर्माण इकाई

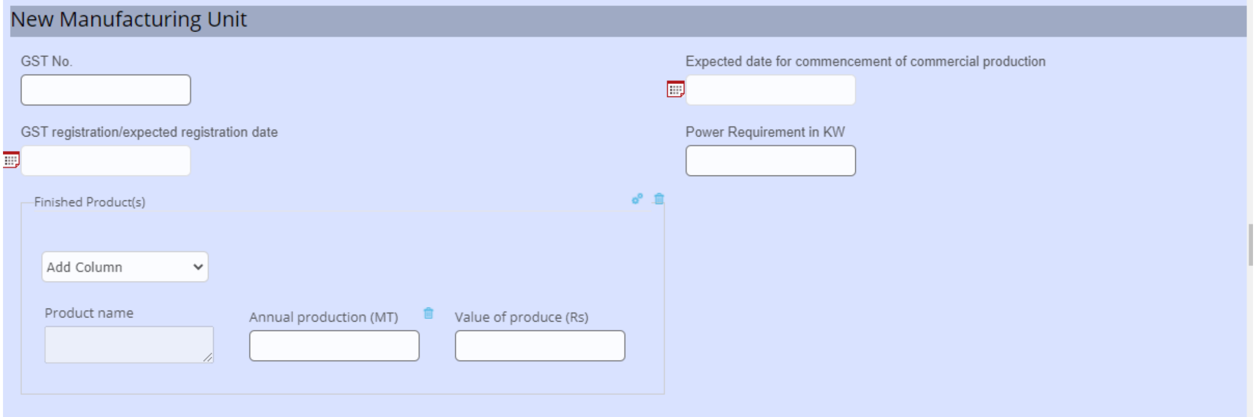

New Manufacturing Unit

GST No.

Expected date for commencement of commercial production

GST registration/expected registration date

Power Requirement in KW

Finished Product(s)

Add Column

Product name

Annual production (MT)

Value of produce (Rs)

5 च) नई सेवा इकाई

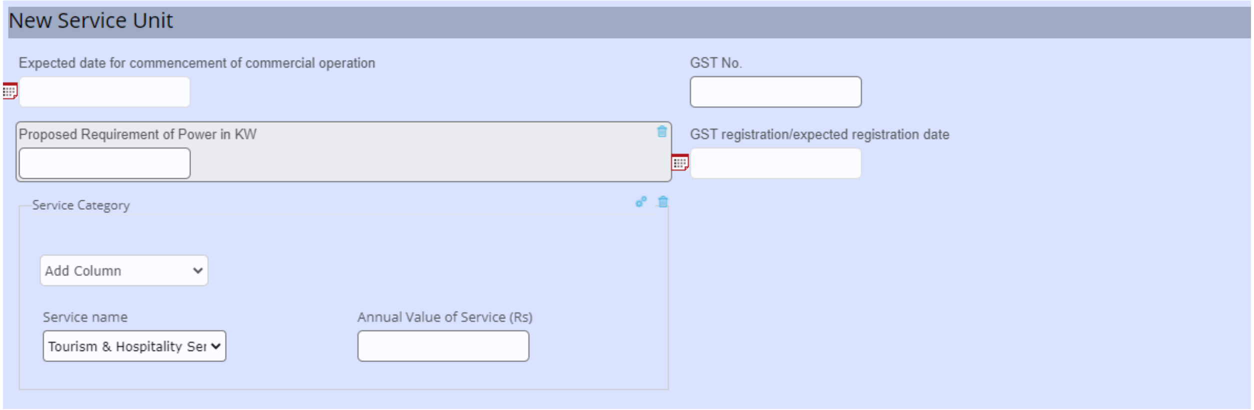

New Service Unit

Expected date for commencement of commercial operation

GST No.

Proposed Requirement of Power in KW

GST registration/expected registration date

Service Category

Add Column

Service name: Tourism & Hospitality Ser

Annual Value of Service (Rs)

6 प्रयोज्यता के आधार पर निश्चित पूँजी निवेश का विस्तार

Detail of Fixed Capital Investment Proposed - Manufacturing Unit

Investment Detail

Fixed Capital Investment Particular	Actual /Existing Investment beore expansion (Rs)	Proposed investment for new/expansion (Rs)	Actual investment already made since 01.04.2019(for project under implementation)
Land and site development			
Civil Construction (Factory building)			
Civil Construction (Office building)			
Plant, machinery/components/ items			
Electrical Installation (for plant operation on the			
Preliminary & Pre-operative expenses			
Miscellaneous fixed assets			
Total			

Detail of Fixed Capital Investment Proposed - Manufacturing Unit

Investment Detail

Fixed Capital Investment Particular	Actual /Existing Investment beore expansion (Rs)	Proposed investment for new/expansion (Rs)	Actual investment already made since 01.04.2019(for project under implementation)
Land and site development			
Civil Construction (Factory building)			
Civil Construction (Office building)			
Plant, machinery/components/ items			
Electrical Installation (for plant operation			
Preliminary & Pre-operative expenses			
Miscellaneous fixed assets			
Total			

7 प्रयोजयता के आधार पर वित्त और रोजगार सृजन का विस्तार

Source of Finance

Enter Finance Detail

Particulars	Actual /Existing Investment before expansion (Rs)	Proposed investment for new/expansion (Rs)	Actual investment already made since 01.04.2019(for project under implementation)
Promoters contribution			
Equity			
Term loan from financial institutions			
Un secured loan			
Internal resources			
Any source (pls specify)			
Total			

Employment generation detail in the proposed unit

Employment Detail

Type of employment	No. of employees	Annual salary
Skilled employees		
Semi skilled employees		
Un skilled employees		
Total		

8 उपर्युक्त दर्ज किए गए डाटा के आधार पर स्कीम की पात्रता और संगत योजनाओं में पहुंच के लिए अपेक्षित अधिक जानकारी

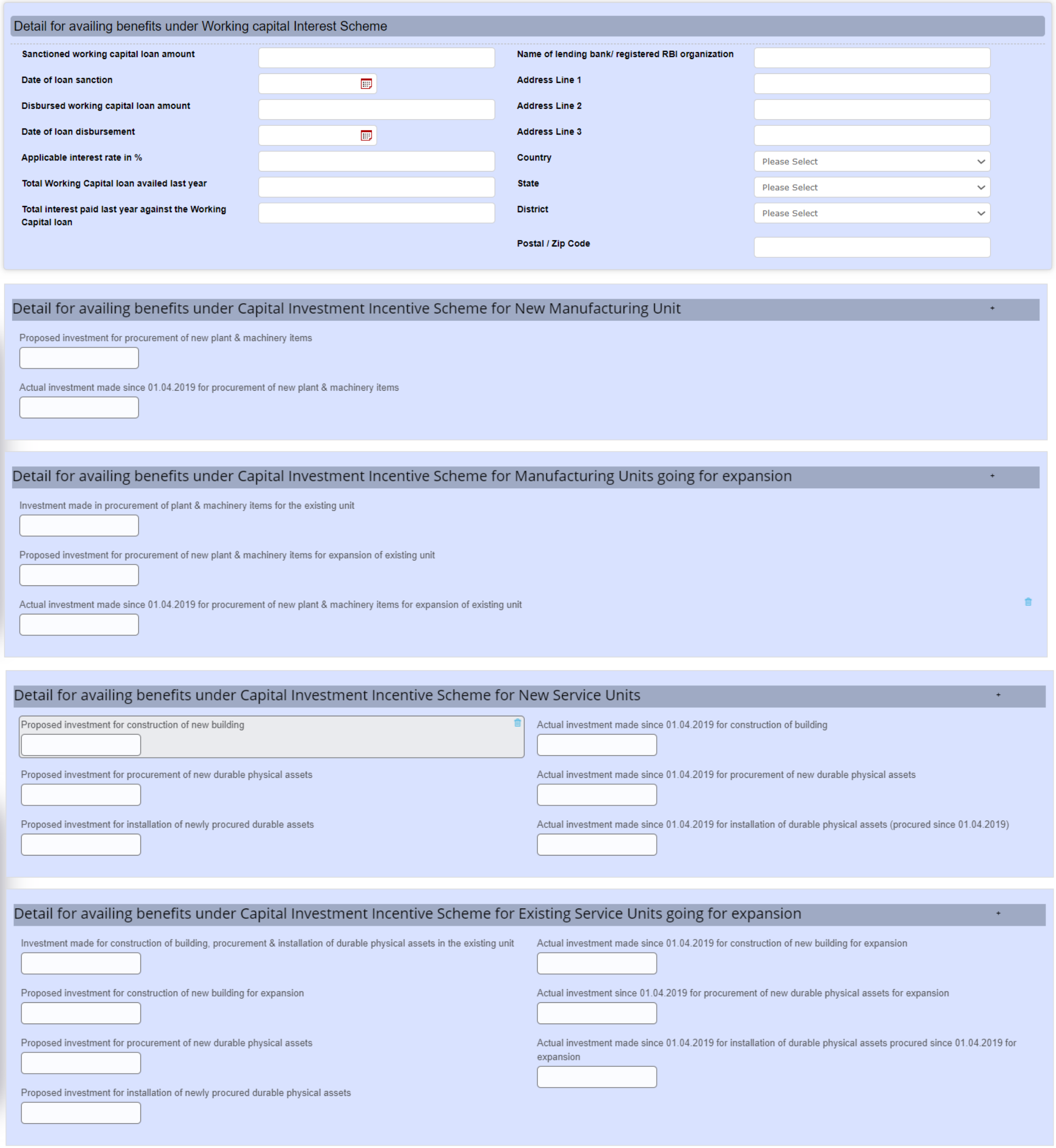

Detail for availing benefits under Working capital Interest Scheme

Sanctioned working capital loan amount

Date of loan sanction

Disbursed working capital loan amount

Date of loan disbursement

Applicable interest rate in %

Total Working Capital loan availed last year

Total interest paid last year against the Working Capital loan

Name of lending bank/ registered RBI organization

Address Line 1

Address Line 2

Address Line 3

Country: Please Select

State: Please Select

District: Please Select

Postal / Zip Code

Detail for availing benefits under Capital Investment Incentive Scheme for New Manufacturing Unit

Proposed investment for procurement of new plant & machinery items

Actual investment made since 01.04.2019 for procurement of new plant & machinery items

Detail for availing benefits under Capital Investment Incentive Scheme for Manufacturing Units going for expansion

Investment made in procurement of plant & machinery items for the existing unit

Proposed investment for procurement of new plant & machinery items for expansion of existing unit

Actual investment made since 01.04.2019 for procurement of new plant & machinery items for expansion of existing unit

Detail for availing benefits under Capital Investment Incentive Scheme for New Service Units

Proposed investment for construction of new building

Proposed investment for procurement of new durable physical assets

Proposed investment for installation of newly procured durable assets

Actual investment made since 01.04.2019 for construction of building

Actual investment made since 01.04.2019 for procurement of new durable physical assets

Actual investment made since 01.04.2019 for installation of durable physical assets (procured since 01.04.2019)

Detail for availing benefits under Capital Investment Incentive Scheme for Existing Service Units going for expansion

Investment made for construction of building, procurement & installation of durable physical assets in the existing unit

Proposed investment for construction of new building for expansion

Proposed investment for procurement of new durable physical assets

Proposed investment for installation of newly procured durable physical assets

Actual investment made since 01.04.2019 for construction of new building for expansion

Actual investment since 01.04.2019 for procurement of new durable physical assets for expansion

Actual investment made since 01.04.2019 for installation of durable physical assets procured since 01.04.2019 for expansion

Detail for availing benefits under Capital Interest Subvention Scheme - New Manufacturing Unit

Actual Investment made since 01.04.2019 for procurement of new plant & machinery items

Principal loan amount sanctioned

Date of sanction

Principal loan amount disbursed since 01.04.2019

Date of last disbursement

Loan amount used for procurement of new plant and machinery since 01.04.2019

Applicable Interest Rate

Residual loan tenure in years

Total estimated interest amount (Residual loan tenure or 7 years whichever is less)

Name of lending bank/other RBI registered institution

First Choice

Address Line 1

Address Line 2

Address Line 3

Country

Please Select

State

Please Select

District

Please Select

Postal / Zip Code

Detail for availing benefits under Capital Interest Subvention Scheme - Manufacturing Unit for Expansion

Principal loan amount sanctioned

Date of sanction

Principal loan amount disbursed since 01.04.2019

Date of disbursement

Loan amount used for procurement of new plant and machinery since 01.04.2019

Applicable Interest Rate

Residual loan tenure in years

Total estimated interest amount (Residual loan tenure or 7 years whichever is less)

Name of lending bank/other registered institution

First Choice

Address Line 1

Address Line 2

Address Line 3

Country

Please Select

State

Please Select

District

Please Select

Postal / Zip Code

Detail for availing benefits under Capital Interest Subvention Scheme - New Service Unit

Principal loan amount sanctioned

Date of sanction

Principal loan amount disbursed since 01.04.2019

Date of disbursement

Loan amount used for construction of building, procurement of durable physical assets and their installation since 01.04.2019

Applicable Interest Rate

Residual loan tenure in years

Total estimated interest amount (Residual loan tenure or 7 years whichever is less)

Name of lending bank/other registered institution

First Choice

Address Line 1

Address Line 2

Address Line 3

Country

Please Select

State

Please Select

District

Please Select

Postal / Zip Code

Detail for availing benefits under Capital Interest Subvention Scheme - Service Unit for Expansion

Principal loan amount sanctioned

Date of sanction

Principal loan amount disbursed since 01.04.2019

Date of disbursement

Loan amount used for construction of building, procurement of durable physical assets and their installation since 01.04.2019

Applicable Interest Rate

Residual loan tenure in years

Total estimated interest amount (Residual loan tenure or 7 years whichever is less)

Name of lending bank/other registered institution

First Choice

Address Line 1

Address Line 2

Address Line 3

Country

Please Select

State

Please Select

District

Please Select

Postal / Zip Code

Detail for availing benefits under GST Linked Incentive

Estimated 300% of eligible value of investment

Detail for availing benefits under Working capital interest Scheme

Sanctioned working capital loan amount

Date of loan sanction

Disbursed working capital loan amount

Date of loan disbursement

Applicable interest rate in %

Total Working Capital loan availed last year

Total interest paid last year against the Working Capital loan

This portion shall remain blank in Application form

Name of lending bank/ registered RBI organization

Address Line 1

Address Line 2

Address Line 3

Country

Please Select

State

Please Select

District

Please Select

Postal / Zip Code

Detail for availing benefits under Capital Investment Incentive Scheme for New Manufacturing Unit

Proposed investment for procurement of new plant & machinery items

Actual investment made since 01.04.2019 for procurement of new plant & machinery items

Detail for availing benefits under Capital Investment Incentive Scheme for Manufacturing Units going for expansion

Investment made in procurement of plant & machinery items for the existing unit

Proposed investment for procurement of new plant & machinery items for expansion of existing unit

Actual investment made since 01.04.2019 for procurement of new plant & machinery items for expansion of existing unit

Detail for availing benefits under Capital Investment Incentive Scheme for New Service Units

Proposed investment for construction of new building

Proposed investment for procurement of new durable physical assets

Proposed investment for installation of newly procured durable assets

Actual investment made since 01.04.2019 for construction of building

Actual investment made since 01.04.2019 for procurement of new durable physical assets

Actual investment made since 01.04.2019 for installation of durable physical assets (procured since 01.04.2019)

Detail for availing benefits under Capital Investment Incentive Scheme for Existing Service Units going for expansion

Investment made for construction of building, procurement & installation of durable physical assets in the existing unit

Proposed investment for construction of new building for expansion

Proposed investment for procurement of new durable physical assets

Proposed investment for installation of newly procured durable physical assets

Actual investment made since 01.04.2019 for construction of new building for expansion

Actual investment since 01.04.2019 for procurement of new durable physical assets for expansion

Actual investment made since 01.04.2019 for installation of durable physical assets procured since 01.04.2019 for expansion

9 आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए गए

Detail for availing benefits under Capital Interest Subvention Scheme - New Manufacturing Unit

Actual Investment made since 01.04.2019 for procurement of new plant & machinery items

Principal loan amount sanctioned

Date of sanction

Principal loan amount disbursed since 01.04.2019

Date of last disbursement

Loan amount used for procurement of new plant and machinery since 01.04.2019

Name of lending bank/other RBI registered institution

First Choice

Address Line 1

Address Line 2

Address Line 3

Country

Please Select

State

Please Select

Applicable Interest Rate

State: Please Select

Residual loan tenure in years

District: Please Select

Total estimated interest amount (Residual loan tenure or 7 years whichever is less)

Postal / Zip Code

Detail for availing benefits under Capital Interest Subvention Scheme - New Service Unit

Principal loan amount sanctioned

Name of lending bank/other registered institution: First Choice

Date of sanction

Address Line 1

Principal loan amount disbursed since 01.04.2019

Address Line 2

अनुबंध-II

परियोजना रिपोर्ट

आवेदक को आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) आनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में निम्न बिन्दु अवश्य निहित होने चाहिए:

क. प्रमोटर की भूमिका

ख. जो कि विनिर्मित किए जाने वाले उत्पाद / प्रदत्त सेवा और इसकी बाजार संभाव्य का ब्यौरा

ग. प्रयुक्त भूमि क्षेत्र के लिए और संभावित क्षेत्र के आकडों की जांच

घ. ले-आउट प्लान

ङ. कार्यान्वयन अनुसूची

च. उत्पाद प्रक्रिया फ्लोचार्ट

छ. प्रोजक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट

ज. संयंत्र और मशीनरी में (विनिर्माण क्षेत्र के मामलें में), भवन और अन्य भौतिक स्थायी परिसंपतियां (सेवा क्षेत्र के संबंध में), कार्यशील पूंजी की आवश्यकता निवेश सहित कुल निवेश ब्यौरा

झ. इकाई द्वारा अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी भवन निर्माण और स्थायी परिसंपतियों का ब्यौरा

ञ. परियोजना के लिए वित्त का स्रोत

ट. अनुमानित रोजगार ब्यौरा

ठ. बिजली की आवश्यकता

ड. जल की आवश्यकता

ढ. सभी सांविधक मंजूरियां, जैसे कि पर्यावरणीय मंजूरी आदि।

अनुबंध III

जोन का वर्गीकरण

जम्मू और कश्मीर के जोन क और ख में ब्लॉक्स का जिले-वार विवरण:

जम्मू डिविजन के जोन क और ख में ब्लॉक्स का जिले-वार विवरण			
क्रम संख्या	**जिले**	**जोन क**	**जोन ख**
1.	डोडा	शून्य	I. अस्सार II. भदेरवाह, भगवाह III. भलेसा (गंदोह) IV. भल्ला, चंगा V. चिली पिंगल VI. चिराल्ला VII. डाली उद्यानपुर VIII. डोडा IX. गुंडाना X. जक्यास XI. कहरा XII. कश्तीगढ़ XIII. खलेनी XIV. मर्मात XV. थातरी
2.	जम्मू	I बिशनाह II मरह III सतवाड़ी IV मागरोता V आरएस पुरा VI मिरन साहिब	I. अखनूर II. भलवाल ब्राहमन III. अर्निया IV. दनसल V. खोर VI. मथवार VII. मैरा मंद्रीअन VIII. मंडल फलैन IX. खराह बल्ली X. परगवाल XI. चौकी चौरा XII. सामवन XIII. सुचेतगढ़ XIV. भलवल
3.	कठुआ	I हिरानगर II कठुआ	I. बनी II. दुग्गन III. भसोहली IV. लोहाई मल्हार V. बग्गन VI. भूंद VII. दुग्गेन VIII. बिलावर IX. महानपुरी X. डिंगाअंब XI. मंडली

			XII. कीरियन XIII. बरनोती XIV. मरहीन XV. नगरोटा गुजरू XVI. धार महानपुर XVII. नागरी
4.	किश्तवाड़	शून्य	I. बुंजवाह II. दचन III. दर्भसल्ला IV. इंद्रवाल V. किश्तवाड़ VI. मारवाह VII. मुगल मैदान VIII. नागसनी IX. पैडर X. पलमार XI. ठकराई XII. त्रिगाम XIII. वारवान
5	पुंछ	शून्य	I. बालाकोट II. बुफ़ियाज़ III. लसाना IV. लोरन V. मंडी VI. मनकोट VII. मेंढर VIII. नंगली साहिब साईं बाबा IX. पूंछ X. सथरा XI. सूरनकोट
6	राजौरी	शून्य	I. बुधाल II. दलगरी III. दरहाल IV. डूगंरी V. कलाकोट VI. खसवास VII. लमबेरी VIII. मनजाकोट IX. मोउघला X. नौशेरा XI. पंजग्ररेन XII. पलानगेर XIII. किला दरहाल XIV. राजनगर XV. राजौरी

			XVI. सेरी XVII. सिइओट XVIII. सुंदरलबानी XIX. थानामंडी
7	रामवन	शून्य	I. बनीहाल II. बटोटे III. गनधरी IV. गून V. गुनडी धरम VI. खारी VII. राजगढ़ VIII. रामवन IX. रामसू X. सांगलदान XI. उखराल
8.	रियासी	1. कटरा	I. अरनास II. बमाघ III. चासना IV. गुलाब गर V. जीजबागली VI. महोर VII. पंथल VIII. पौनी IX. रियासी X. ठकरकोट XI. थुरो
9.	सांबा	i. बारी ब्राह्मण ii. सांबा iii. वीजयपुर iv. पुरमंडल	I. सुंब II. नग्न III. राजपुरा IV. रामगढ़ V. घगवाल
10	उधमपुर	1. उधमपुर	I. चनुनटा II. चिनैनी III. डूडू IV. घोरधी V. जगनू VI. खून VII. कुलवंता VIII. लत्ती IX. मजलता X. मुंगरी XI. नरसो XII. पंचारी XIII. पराली धार XIV. रामनगर

			XV. सीवन XVI. टिक्करी
कश्मीर डिवीजन के जोन क और ख में ब्लाक का जिला वार विवरण			
क्रम सं	**जिला**	**जोन क**	**जोन ख**
1	अंनतनाग	I. अंनतनाग II. बिजीबेहारा III. सागम	i. अचाबल ii. ब्रेंग iii. चटरगुल iv. दचनीपोरा v. हिलर शाहाबाद vi. खोवरिपोरा vii. लर्नू viii. फालगाम ix. काजीगुंड आंशिक रूप से x. शाहाबाद xi. शंगस xii. वेरीनाग xiii. वेस्सू
2	बादीपुरा	शून्य	i. अलूसा ii. अरिन iii. बकतूर iv. बांदीपुरा v. बनोकूट vi. गनस्तान vii. गुरेज viii. हाजिन ix. नदखाई x. नौगाम xi. सुम्बल xii. तुलियल
3	बारामूला	1. बारामूला 2. टंगमार्ग	I. बिझामा II. बोनियार III. चांडिल वनिगाम IV. हरदौरा V. नागाग्रोसा VI. खायपोरा VII. खोरशेरबाड़ा VIII. कुंजर IX. लालपोरा X. नदिहाल XI. नरवव XII. नूरखाह XIII. परेनपीलालन XIV. पट्टन XV. राफीयाबाद XVI. रोहमा

			XVII. संग्राम XVIII. सिंहपोरा XIX. सोपोर XX. तुज्जर शरीफ XXI. उरी XXII. वागुर XXIII. विल्लू XXIV. जैनगीर
4	बडगाव	I बडगाव	I. बी.के. पोरा II. बीरवाह III. चदूरा IV. चरार-ए-शरीफ V. खाग VI. खान-साहिब VII. नगाम VIII. नारबल IX. पखेरपोरा X. परनेवा XI. राथसुन XII. एस.के.पोरा XIII. सोईबुग XIV. सुखनाग (हर्द पंजू) XV. सुरसयर XVI. वाटरहेल
5	गंदरबल	I गंदरबल II गुंद	I. कंगन II. लार III. सफापोरा IV. शेरपत्थर V. वकूरा
6	कुलगाव	शून्य	I. बेहीबाग II. डी.एच.पोरा III. डी.के.मार्ग IV. देवसर V. फ्रिसल VI. कुलगाम VII. कुंद VIII. मेंजगाम IX. पहलू X. पोम्बे XI. कुआमोह
7	कुपवाड़ा	शून्य	I. द्रुगमूला II. हंडवाड़ा III. हेरी कदीराबाद IV. हयहमा V. कलारूच

			VI. केरम VII. करलपोरा VIII. कुलीगाम IX. कुपवाड़ा X. लालपोरा XI. लंगाटे XII. माछिल XIII. मगाम XIV. मवाड़ XV. कलामाबाद XVI. मीलयाल XVII. नटनुस्सा XVIII. काजियाबाद XIX. रजवाड़ XX. रामहल XXI. रेद्दी चौकीबल XXII. सोगम XXIII. तंगदार XXIV. तीथवाल XXV. तरथपोरा XXVI. त्रेहगाम XXVII. ववूरा
8	पुलवामा	I. पुलवामा II. पम्पोर	I. अर्पाल II. अवंतीपुरा III. दादसुरा IV. काकापोरा V. केल्लर VI. लित्तर VII. नेवा VIII. शादीमार्ग IX. त्राल
9	शोपियां	शून्य	I. चित्रिगाम II. हेरमान III. इमामसाहिब IV. कंजी उलार V. कापरिन VI. केल्लर VII. रमनागिरी VIII. शोपियां IX. जैनपोरा
10	श्रीनगर	I. श्रीनगर II. ईदगाह III. हजरतबल IV. कमरवारी	I. हरवान II. खोनमोह

नोट: नगर पालिका समितियां निकटतम ब्लॉक का हिस्सा होंगी।

अनुबंध IV

क. विनिर्माण क्षेत्र के पात्र प्लांट और मशीनरी

i. विनिर्माण उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी के मूल घटकों में विनिर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए जरूरी मदर उत्पादन उपकरण के मूल्य को भी शामिल किया जाएगा और वह प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होगें।

ii. गैर-घटक घटक वह हैं जो इस योजना के तहत किसी भी तरह के प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र नहीं होगें। गैर-घटक श्रेणी के तहत निम्नलिखित मद कवर में शामिल है।

क. लोडिंग और अनलोडिंग शुल्क

ख. संयंत्र और मशीनरी के शेड/ भवन

ग. विविध स्थायी संपति जैसे कि डीजी सेट, खुदाई / खनन उपकरण, ईओटी को छोड़कर हैडलिंग उपकरण, इलैक्ट्रानिक घटक

घ. कच्चे माल और अन्य उपभोक्ता स्टोर के साथ कार्यशील पूंजी

ड. कमीशन की लागत

च. कैपटिव उपयोग के लिए सोलर पावर संयंत्र को छोड़कर कैपटिव पावर संयंत्र

छ. स्टोरेज उपकरण

ज. वजन पुल, प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण

झ. डीजी सेट

ख. **सेवा उद्योग के लिए भवन और उपकरण के घटक घटक**

सेवा उद्योग के लिए भवन और अन्य स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों के मुख्य घटकों में भवन के निर्माण की लागत और अन्य स्थायी भौतिक सहायक शामिल होंगे जो सेवा गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं और इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

सेवा उद्योग के लिए भवन और उपकरण के घटक घटकों में शामिल होगें:

i. भवन और अन्य स्थायी भौतिक संपत्तियों की लागत(कर और शुल्क को छोड़कर) जो सेवा गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

ii. स्थायी संपत्तियों के मूल्य के साथ फिटिंग, फिक्स्चर और अचल संपत्ति जो सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं(जैसे कि एचवीएसी प्रणाली, कुलिंग टावर, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र आदि)

iii. संयंत्र की तरफ संयंत्र प्रचालन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रानिक घटक जहां प्वांइट पर तैयार माल का उत्पादन/निकासी की जानी है मीटर संस्थापित किया गया है (जैसे कि एच.टी मोटर्स, एल.टी. मोटर्स, स्विच बोर्ड, पैनल बोर्ड, स्विचगियर)

iv. अगर सरकार की किसी अन्य योजना के तहत कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया गया है तो यूनिट के भीतर सृजित बिजली के उपयोग के लिए कैप्टिव सोलर प्लांट / पैनल्स को प्लांट और मशीनरी के अंतर्गत मुख्य घटक के रूप में माना जाएगा

v. नया भवन

ग. सेवा उद्योग के लिए भवन और उपकरण के गैर- प्रमुख घटक

सेवा उद्योग के गैर-घटक घटक वह हैं जो इस योजना के तहत किसी भी तरह के प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। भूमि की लागत, उपभोग्य, राजस्व के लिए डिस्पोज़ेबल या कोई अन्य वस्तुएं इसमें शामिल होंगे।

घ. सेवा क्षेत्र के लिए भवन और उपकरण की विस्तृत की सूची

I. पयर्टन और आतिथ्य सेवा के लिए भवन एवं उपकरण

i. होटल, रिसॉर्ट्स, इको-रिसॉर्ट्स और वेलनेस रिसॉर्ट्स के मामले में, निम्नलिखित स्थायी संपत्तियों में निवेश माना जाएगा

1. स्विमिंग पूल के लिए फिल्ट्रेरेशन संयंत्र
2. वाटर प्यूरिफिकेशन संयंत्र
3. हॉट वाटर वॉयलर और रूम हीटिंग उपकरण (स्थायी)
4. वाटर सॉफ्टनिंग संयंत्र
5. फ्यूम एक्सट्रक्शन और वैंटिलेशन संयंत्र
6. एयर कंडिशनिंग संयंत्र
7. कोल्ड स्टोरेज उपकरण
8. लॉन्ड्रीं उपकरण
9. कूलर और रेफ्रिजरेशन उपकरण
10. बेकरी उपकरण
11. सीवेज डिस्पोजल संयंत्र
12. इलैक्ट्रिकल इंस्टालेशन
13. कैंपिंग के लिए टैंट
14. रसोईघर के उपकरण, कुकिंग रेंज, डिश वाशर, वर्किंग टेबल
15. फायर फाइटिंग उपकरण (स्थायी)
16. टेलीफोन उपकरण/ एक्सचेंज
17. लिफ्ट और एक्सेलेटर्स
18. सेफ डिपोजिट लॉकर्स
19. पंपिंग सैट और कैंपस लाइन के साथ ट्यूब वैल्स
20. होटल के लिए विशिष्ट रूप से गुड्स कैरियर
21. कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए प्रोजेक्टर और अन्य उपकरण (स्थायी)
22. लाइटिंग उपकरण
23. एडवेंचर और वाटर स्पोर्टस उपकरण

II. हाऊस बोट, संपूर्ण हाऊस बोट परियोजना सहित इसके फिटिंग और फरनिशिंग के मामले में भवन और भौतिक स्थायी संपति के रूप में माना जाएगा।

अनुबंध-V

सेवा क्षेत्र की पात्र भवन और भौतिक स्थायी संपत्ति

क. संबंधित सेवा क्षेत्र के शीर्ष के तहत पात्र इकाइयाँ

1. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएँ (स्वास्थ्य और वेलनेस पर्यटन)

i. पर्यटन विभाग में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में पंजीकृत सभी इकाइयां निम्नलिखित को छोडकर

क. होमस्टे ब्रेड और ब्रेकफास्ट

ख. परिवहन सेवाएं जो पर्यटन से संबंधी गतिविधियों उपयोग नहीं की जा रही है।

ii. ऐसी सभी इकाइयों को पर्यटन और आतिथ्य सेवाएँ के वाणिज्यिक संचालन के लिए संबंधित समक्ष प्राधिकारी से पंजीकरण के लिए अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करना होगा ।

iii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाओं में केटर कार्य, बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां की सभी सेवाएं शामिल होंगी।

2. **फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देना**

i. फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सभी इकाइयां पर्यटन विभाग और सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ पंजीकृत किया जाना

ii. ऐसी सभी इकाइयों को वाणिज्यिक संचालन के लिए संबंधित समक्ष प्राधिकारी से पंजीकरण के लिए अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

iii. फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने में फिल्म शूटिंग उपकरणों को किराए पर देना शामिल किया जाएगा।

iv. फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने में थिएटर, सिनेप्लेक्स, सिंगल स्क्रीन थिएटर, मल्टीप्लेक्स शामिल होंगे

3. रोपवे, एन्टरटेन्मेन्ट पार्क और राइडस

i. रोपवे, एन्टरटेन्मेन्ट पार्क और राइड की सभी इकाइयां पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत होनी चाहिए।

ii. ऐसी सभी इकाइयों को रोपवे, एन्टर्टेन्मेन्ट पार्क और राइड का वाणिज्यिक प्रचालन चलाने के लिए संगत समक्ष प्राधिकारी से पंजीकरण के लिए अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त होगा है।

iii. रोपवे, एन्टरटेन्मेन्ट पार्क और राइड सिर्फ आम लोग और वाणिज्यिक उपयोग के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग होगा।

4. धरोहर संपत्ति की पुनरूद्धार स्थापित सेवाएं

i. सभी इकाइयां जो धरोहर संपत्ति मान्यता प्राप्त परिभाषित किया गया है।

क. एएसआई के अंतर्गत अधिसूचित स्मारक ख. पुरातन स्मारक संरक्षण अधिनियम(संशोधित), 2010 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्मारक ग. जम्मू और कश्मीर धरोहर सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित धरोहर वाले स्थान घ. विभिन्न धर्मों के प्रबंधन के तहत धरोहर स्मारक जैसे कि वक्फ बोर्ड, गुरूद्धारा, मंदिर आदि। ड. मान्यता प्राप्त ऐजसियों की द्वारा धरोहर स्मारकों की सूची जैसे कि य़ूएनईएससीओ, आईएनटीएसीएच(कला और संस्कृति हेतु भारतीय राष्ट्रीय न्यास)

ii. धरोहर भवन जिनका पुनरूद्धार किया गया है और जिनका वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है वे नई इकाई के लिए लागू लाभ की पात्र होगीं।

iii. धरोहर संपत्ति की पुनरूद्धार सेवाएं के प्रमुख घटक केवल धरोहर संपत्ति के सिविल और निर्माण कार्य को ही कवर करेगा।

iv. ऐसी सभी इकाइयों को वाणिज्यिक प्रचालन चलाने के लिए संगत समक्ष प्राधिकारी से पंजीकरण के लिए अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए ।

5. **स्वास्थ्य सेवा**

i. स्वास्थ्य विभाग के साथ पंजीकृत स्वास्थ्य सेवाओं सभी इकाइयां निम्नलिखित को छोड़कर

   क. केवल ओपीडी सुविधा के साथ क्लिनिक

   ख. केमिस्ट की दुकानें

   ग. कैन्टीन

   घ. जिमखाना

   ड. 25 से कम बेड वाले अस्पताल और क्लिनिक

ii. ऐसी सभी इकाइयों को वाणिज्यिक प्रचालन चलाने के लिए संगत समक्ष प्राधिकारी से पंजीकरण के लिए अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए ।

iii. स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से रोगी के स्वास्थ्य से जुड़ी होनी चाहिए

iv. स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाएं, आयुष केन्द्र शामिल होने चाहिए।

6. **आईटी और आईटीईएस सेवाएं**

i. आईटी और आईटीईएस सेवाओं में सभी इकाइयां संबंधित डीआईसी के साथ पंजीकृत होनी चाहिए।

ii. आईटी और आईटीईएस सेवाओं में वह सभी सेवाएं शामिल होनी चाहिए जिसमें आईटी और आईटीईएस संबंधी सेवाओं में केवल कम्प्यूटर के उपयोग की आवश्यकता है

7. **रख रखाव और मरम्मत संबंधी सेवाएं**

i. संबंधित डीआईसी के साथ पंजीकृत में रख रखाव और मरम्मत सेवाएं सभी इकाइयां निम्नलिखित को छोड़कर

   क. परिसर में बस्तुओं की बिक्री/ व्यापार

ii. केवल सर्विसिंग और रखरखाव गतिविधियों को शामिल करना चाहिए और बस्तुओं की बिक्री को छोड़ देना चाहिए

8. फ्रेट टर्मिनल, लाजिस्टक पार्क और गोदाम (कोल्ड स्टोर सेवा सहित)

I. संबंधित डीआईसी के साथ फ्रेट टर्मिनल, लाजिस्टक पार्क और गोदाम में सभी इकाइयां पंजीकृत होनी चाहिए।

II. ऐसी सभी इकाइयों को फ्रेट टर्मिनल, लाजिस्टक पार्क और गोदाम के वाणिज्यिक प्रचालन चलाने के लिए संबद्ध समक्ष प्राधिकारी से पंजीकरण के लिए अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करना होगा ।

III. सीए स्टोर सहित फ्रेट टर्मिनल, लाजिस्टक पार्क और गोदाम में भी शामिल होना चाहिए।

9. **परीक्षण, अनुसंधान और विकास मूल्यांकन और प्रमाणन सेवाएं**

I. संबंधित डीआईसी के साथ परीक्षण, अनुसंधान और विकास मूल्यांकन और प्रमाणन सेवाएं में सभी इकाइयों को पंजीकृत होना जरूरी है।

II. ऐसी सभी इकाइयों को परीक्षण, अनुसंधान और विकास मूल्यांकन और प्रमाणित सेवाओं के वाणिज्यिक प्रचालन चलाने के लिए संगत समक्ष प्राधिकारी से पंजीकरण के लिए अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

10. **शिक्षा और कौशल विकास सेवाएं**

I. संबंधित शिक्षा विभाग में शैक्षणिक और कौशल विकास सेवाओं में पंजीकृत सभी इकाइयां निम्नलिखित को छोड़कर

   क. कोचिंग केन्द्र

   ख. टयूशन केन्द्र

   ग. स्कूल/कॉलेज/(कला और विज्ञान)

II. सभी इकाइयों को शिक्षा और कौशल विकास सेवाओं के वाणिज्यिक प्रचालन चलाने के लिए संगत समक्ष प्राधिकारी से पंजीकरण के लिए अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

III. ऐसी सभी शैक्षणिक और कौशल विकास संबंधी सेवाएं जो राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड से संबद्ध हैं।